कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
दूरभाष का पता–0151–2226551 ई मेल– **aayukt.ele@gmail.com**

क्रमांक : शिविरा / प्रारं / निरीक्षण एवं गुणवत्ता / 19617 / 2019–20 / 1496 दिनांकः– 12.02.2020

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय समस्त जिले।

विषयः– जिले में संचालित कक्षा 1–5 तक के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों (**Stand Alone Government Primary School**) को विशेष संबलन दिए जाने बाबत्।

प्रसंगः– आयुक्त महोदय के पत्रांक रास्कूशिप / जय / गुणवत्ता / 2019–20 / 10078 / दिनांक 6 / 02 / 2020

राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु कक्षा 1–5 तक संचालित सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में (**Stand Alone Government Primary School**) हेतु विशेष संबलन प्रदान किया जाना है। प्राथमिक शिक्षा ही भविष्य की उच्च शिक्षा की नींव है। इस हेतु नीति आयोग मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित कक्षा एवं विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के अनुसार एवं आरटीई 2009 के परिप्रेक्ष्य में इन कक्षाओं (1–5) की कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बुनियादी दक्षताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है, जिन दक्षताओं में विद्यार्थी का आकलन स्तर न्यून है। कक्षा 1–5 की कक्षाओं के जो विद्यार्थी अधिगम संकेतकों के अनुसार कौशलों का विकास किया जावे ताकि सभी विद्यार्थी कक्षा स्तर की अधिगम दक्षता प्राप्त कर सके। इस हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को विशेष सम्बलन दिये जाने बाबत् निम्नांकित बिन्दुओं की पालना तत्काल सुनिश्चित करें–

1. प्रासंगिक पत्रानुसार राज्य में संचालित कक्षा 1–5 तक के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों(**Stand Alone Government Primary School**)का अवलोकन किया जाना है। जिसमें शाला दर्पण सूचना अनुसार अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक 4144 विद्यालयों का ही अवलोकन किया गया है, जो लगभग 13 प्रतिशत ही है। अतः आपके जिले में अधीनस्थ समस्त राप्रावि का शत प्रतिशत अवलोकन करना सुनिश्चित करावें।
2. माह फरवरी 2020 तक प्राथमिक विद्यालयों का ही अवलोकन करने हेतु जिले के अधिकारियों विद्यालयों का आवंटन करावें। शून्य बार अवलोकित विद्यालयों को शामिल किया जावें।
3. नेशनल अचीवमेन्ट सर्वे का जिला रिपोर्ट कार्ड डाइट प्राचार्य के पास उपलब्ध है। जिला रिपोर्ट कार्ड में जिन लर्निंग आउटकम्स में विद्यार्थी आकलन 50प्रतिशत से न्यून रहा है, कक्षा–शिक्षण मे दक्षताओं में वृद्धि को केन्द्रित किया जावे। इस हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से सम्पर्क कर समस्त पीईईओ, ब्लॉक, जिला स्तरीय अधिकारियों को विद्यालय आवंटन कराया जाकर लक्ष्यापूर्ति करें।
4. जिले की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1–5 तक के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक का आयोजन पंचायत वार कराने का आदेश जारी करावें। बैठक में प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता एवं लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि हेतु भाषा, गणित एवं पर्यावरण विषयों के विषयवार स्कोर के लिए रणनीति बनाकर क्रियान्विति की जावे।
5. बच्चों की नियमित उपस्थिति से लर्निंग आउटकम्स में प्रगति होती है। अतः आउट ऑफ स्कूल बच्चों एवं अनियमित उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों को **PTM** में विद्यार्थियों का **SA1, SA2,** पोर्टफोलियो, विद्यार्थी अभिलेख का अवलोकन करावें।
6. पीईईओ स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर पंचायत क्षेत्र के कक्षा 1–5 के राप्रावि के प्रधानाध्यापकों को क्रियान्विति हेतु निर्देश दिये जावें।

Amrita

नियमानुसार शिक्षकों की व्यवस्था करें ताकि इन प्राथमिक विद्यालयों पर विशेष फोकस किया जा सके। बीएड के इन्टर्नशिप के छात्राध्यापकों/छात्राध्यापिकाओं को विभागीय नियमानुसार कक्षावार समय विभाग–चक्र उपलब्ध कराकर उनसे पाठ्यक्रम को पूर्ण करावें।

8. पीईईओ को पत्र द्वारा पाबन्द करें कि अपने अधीनस्थ राप्रावि की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु नियमित संबलन दिया जावें। इस हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पीईईओ को पत्र जारी कर शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करावें।
9. उक्तानुसार निरीक्षण उपरान्त जिले के सभी अधिकारियों के राप्रावि निरीक्षण शाला सम्बलन प्रपत्रों को फोटोग्राफ सहित शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करावें।
10. इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अन्यथा विभागीय कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निरीक्षण एवं गुणवत्ता/19617/2019–20/1496 दिनांकः–12.02.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव,आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूशिप जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग.....
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा समस्त ।
7. प्राचार्य डाइट समस्त जिलों को देकर लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय को वांछित **NAS 2017** रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय समस्त।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लॉक।
10. समस्त एडीपीसी समग्र शिक्षा अभियान को पत्र देकर लेख है कि पंचायत स्तर के निरीक्षण नहीं किये समस्त राप्रावि की सूची जिशिअ प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय को सॉफ्ट कॉपी में मेल कर उपलब्ध करावें।
11. कम्प्यूटर अनुभाग प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को पत्र देकर लेख है कि विभागीय आधिकारिक वेबसाइट पर आज ही अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर